Date
27/05/2020

Subject - New Efforts in Elementary Education
Topic - Rights of Children
(Child Act)

D.El.Ed.
2nd Sem.

# बाल अधिकार

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की गई। जिसे भारत में 11 दिसम्बर, 1992 को अंगीकृत किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गयी घोषणा का मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी बालकों के लिए मूल मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था।
भारत सरकार ने भी बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवम्बर 1989 में ही की परन्तु इसे अंगीकृत 11 दिसम्बर 1992 को किया गया।

इस आधिकारिक घोषणा को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय संविधान की धारा 45 में कहा गया है कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बालक तथा बालिका के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी।

## * बाल अधिकार के मुख्य उद्देश्य :-

(i) बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना।
(ii) भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराना।

Scanned with CamScanner

(3) जीवन जीने का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार,

(4) शोषण, नग, व्यापार, बाल विवाह से सरक्षण का अधिकार।

(5) सहभागिता को बढ़ावा देना

(6) गुणवत्तायुक्त शिक्षा को बढ़ावा देना, मनोरंजन तथा विकास के अवसर देना व डर से मुक्त करना।

## * उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा :-

राज्य परियोजना कार्यालय उ० प्र० द्वारा सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर-प्रदेश द्वारा शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु निम्नलिखित बाल अधिकारों की घोषणा की गई -

1) 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।

2) कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चो को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।

3) प्रा० विद्यालय मे सभी बच्चो को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना।

4) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विद्यालय शिक्षक व दो शिक्षामित्रो की तैनाती करना।

5) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों मे कक्षा 1 से 5 तक सभी बालिकाओं को निःशुल्क यूनीफार्म प्रदान करना।

6) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बालक-बालिकाओं को कक्षा 1 से 5 तक 300 रु, व कक्षा 6-8 तक 480 रु, वार्षिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था है,

7) अनुदान के रूप मे 5000 वार्षिक की व्यवस्था जो विद्यालय के रख-रखाव के लिए होगा।

8) विद्यालय विकास अनुदान के रूप मे 2000 वार्षिक

Continue---

Scanned with CamScanner